

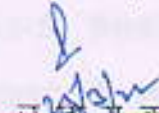
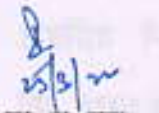
न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
Mutation Rev. No.-12/2021-22

मो० नाजेर उर्फ नाजीर हुसैन

बनाम

बीशु शेख

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश यह वाद विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं०-21/2020-21 में दिनांक 21.01.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया। वाद अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में रिविजनकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को आदेश पारित किया गया कि अभिलेख दिनांक 18.12.2021 को आदेश पर रखें। परन्तु गलत उद्देश्य के कारण आदेश दिनांक 21.01.2022 को पारित किया गया। आगे कहा गया कि अभिलेख में दो-दो आदेश है। एक हस्तलिखित आदेश एवं दूसरा टंकित आदेश। दोनों ही आदेश एक ही तिथि को पारित किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह किस वाद में पारित किया गया है। आदेश के प्रारंग में न तो वाद संख्या अंकित है और न ही पक्षकारों का नाम अंकित है। हस्तलिखित आदेश में केवल एक दाग सं०-1094 का उल्लेख है जबकि टंकित आदेश में दो दाग सं०-1091 एवं 1094 का उल्लेख है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि प्रश्नगत भूमि वसीयत /हिवा में उन्हें प्राप्त है तथा मुस्लिम विधि में वसीयत को प्रोबेट कराने का प्रावधान नहीं है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि दाग सं०-1094 को लेकर पूर्व में दाखिल खारिज वाद सं०-1113/1977-78 चला था जिसमें दिनांक 21.08.1978 को पारित आदेश द्वारा स्वामित्व (Title) के निर्धारण के पश्चात् दाखिल खारिज की कार्यवाही करने का उल्लेख करते हुए वाद की कार्यवाही	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	समाप्त की गई थी। वे आगे कहते हैं कि एक ही पदाधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को नजरअंदाज करते हुए पुनः उसी पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। यह Resjudicata अन्तर्गत है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उन्हें निम्न न्यायालय में सुना नहीं गया एवं बिना उन्हें मौका दिए गलत तरीके से आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अंगीकृत करने का अनुरोध किया गया। वाद अंगीकृत किया गया। निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा एक ही तिथि को दो अलग-अलग आदेश पारित किया गया है। एक आदेश हस्तालिखित है, जिसमें केवल एक दाग सं०-1094 का उल्लेख है जबकि एक आदेश अंकित है जिसमें दो दाग सं०-1091 एवं 1094 का उल्लेख है। आदेश के प्रारंभ में न तो वाद सं० अंकित है और न ही पक्षकारों का नाम अंकित है, जिससे पारित आदेश किस वाद में पारित किया गया है यह स्पष्ट नहीं होता है एवं संदेहजनक है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा बड़ी प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को आदेश पारित करते समय प्रक्रियात्मक पहलुओं पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अतः वाद के Merit पर नहीं जाते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है एवं वाद को निम्न न्यायालय में इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित सभी पक्षकारों को सुनकर दो माह के अन्दर न्यायोचित आदेश पारित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  उ. पा. यु. क्त., पाकुड़।  उ. पा. यु. क्त., पाकुड़।	